

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 42/2020  
दायर दिनांक :- 04.03.2020

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2020/00336  
निर्णय दिनांक :- 11.12.2024

1. भंवरसिंह पुत्र मोतीसिंह फौत के कायम मुकाम
- 1/1 सवाईसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी खीरवा तहसील बाप जिला फलोदी
- 1/2 विजयसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी खीरवा तहसील बाप जिला फलोदी
- 1/3 उगमकंवर पत्नी भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी खीरवा तहसील बाप जिला फलोदी
- 1/4 सरूपकंवर पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी डाबड़ी तहसील ओसियां जिला जोधपुर
- 1/5 इन्द्रकंवर पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी रणीसर तहसील व जिला फलोदी

—अप्रार्थीगण/वादीगण

## **बनाम**

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राजस्थान)

—प्रार्थी/प्रतिवादी

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**  
**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी**

- उपस्थित :-**
1. श्री मदनसिंह भाटी अधिवक्ता वादीगण/अप्रार्थीगण
  2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप प्रार्थी/अप्रार्थी

## **—:: निर्णय ::—**

प्रार्थी/प्रतिवादी तहसीलदार बाप ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर निवदेन किया कि वादीगण द्वारा उपरोक्त अनवान का वाद सरकारी भूमि पर खातेदारी देने हेतु प्रस्तुत किया है जिसमें वादीगणों को हर वर्ष समय-समय पर सरकारी भूमि से बेदखल किया है तथा वादी का कभी भी विवादग्रस्त भूमि पर लगातार कई वर्षों तक कब्जा काश्त नहीं रहने से विवादित भूमि पर वादी खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। उपरोक्त वाद प्रस्तुत करने का वादी को वाद कारण ही पैदा नहीं होने से तथा सरकारी भूमि की खातेदारी की घोषणा से पूर्व वादी द्वारा कभी भी 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया गया है जिसके अभाव में वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने से इस स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। वादी द्वारा सरकारी भूमि पर लम्बे समय से खातेदारी अधिकार घोषित किये जाने की मांग की गई है जबकि समय-समय पर माननीय हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये निर्णय से वादी को Adverse Possession के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं तथा गिरदावरी रिपोर्ट से किसी भी खातेदार को खातेदारी हक अधिकार पैदा नहीं हो सकते हैं। इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में अन्य कोई आधार मौजूद नहीं होने से उपरोक्त अनवान का वाद इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में वर्णित कथनों से तथा प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया वाद साबित नहीं है तथा वाद कारण पैदा नहीं होने के अभाव में वादी का वाद इस स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है।

A-11.12.24/

सहायक कलक्टर

बाप (फलोदी)

अधिवक्ता अप्रार्थी/वादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का जवाब न पेश करते हुये बहस करने का निवेदन किया। बहस उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. सुनी गई। पत्रावली में सलग्न वाद पत्र, प्रार्थना पत्र, नक्शा लट्ठा इत्यादि का गहनता से अध्ययन किया गया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है-

1. वादपत्र अनुसार वादीगण के पूर्वजों का वक्त सेटलमेंट से पूर्व से वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है और वर्तमान में वादीगण का सरहद मौजा खीरवा पटवार मण्डल जोड़ के खसरा नम्बर 82 रकबा 40-00 बीघा जो कि वादग्रस्त भूमि है पर कब्जा काश्त है। बाप तहसील के कुछ गांवों को उपनिवेशन क्षेत्र में लिया गया है जिनमें पटवार मण्डल जोड़ भी सम्मिलित है। उपनिवेशन विभाग के क्षेत्राधिकार में आये गांवों में कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के प्रावधान है। इसलिये वादीगण को विधि अनुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। इसलिये वादीगण खीरवा पटवार क्षेत्र जोड़ के खसरा नम्बर 82 रकबा 40-00 बीघा भूमि पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

तहसीलदार बाप के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार वादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि है जिस पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। वादकारण नहीं पैदा होने के कारण, प्रथम दृष्ट्या वाद साबित नहीं होने के कारण वाद खारिज किये जाने योग्य है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि/सिवाय चक भूमि है। प्रतिकूल कब्जे का सिद्धान्त राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। तहसीलदार बाप के अनुसार विधि के प्रावधानानुसार समय-समय पर उक्त वादग्रस्त भूमि से वादीगण को बेदखल किया जाता रहा है। 'प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी' के सम्बंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल के महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार है:-

- i. आर.आर.डी. 2016 पेज 464/चेनाराम और अन्य विरुद्ध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और अन्य-माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं किये जा सकते है।
- ii. आर.आर.डी. 2011 पेज 508 जगदीश बनाम सीताराम पूर्ण पीठ निर्णय दिनांक 03.06.2011- इस निर्णय में माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया है कि "Rajasthan Tenancy act does not have provision to confer tenancy right to adverse possessor. This bench also inter that providing tenancy right to advrse possessor is a retreating step with regard to land reforms and such a conferment of tenancy right is against the basic spirit of this special legislation."

A-11.12.24

परिवर्तक  
बाप (फलोदी)

iii. आर.आर.डी. 2018 पेज 715 सरजू राव बनाम अमृतलाल पूण पीठ निर्णय दिनांक 30.08.2018- इस निर्णय में भी जगदीश बनाम सीताराम निर्णय का हवाला देते हुये माननीय राजस्व मण्डल ने यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं।

iv. बग्गा बनाम सुरेन्द्रसिंह माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ का निर्णय दिनांक 15.10.1990- प्रतिकूल कब्जे का सिद्धान्त राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। एक अतिचारी का कब्जा राज्य के विरुद्ध प्रतिकूल नहीं हो जाता है। एक खातेदार अभिधारी भी भूमि के स्वामित्व का अधिकार धारण नहीं करता, वह केवल पट्टेदार है, राज्य भू-धारक/भूमि का स्वामी बना रहता है। एक खातेदार अभिधारी को भूमि को धारित करने और उस पर खेती करने का अधिकार है जो कुछ शर्तों के अध्याधीन है। यदि उन शर्तों में से किसी का उल्लंघन किया जाता है तो राज्य को उस भूमि को वापिस लेने का अधिकार है।

2. किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 12(2), 13, 15, 19, 189(2), 193, 194(2) व धारा 101 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 सपठित नियम 18 राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 और राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्त 1955 की शर्त संख्या 9 के अन्तर्गत ही प्राप्त हो सकते हैं। निर्विवाद रूप से वादी ने उक्त किसी भी धारा के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अभिवचन नहीं लिया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। अधिनियम के तृतीय अनुच्छेद में भी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः न्यायालय के अभिमत में, वादीगण को वादकारण हासिल नहीं होने के कारण, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी के प्रावधान नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

--: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं वाद वादीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
बाप (फलोदी)